आई0ए0एस0

सचिव

सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

दिनांक 15.05.2018

-ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / स0वि0 / 2018 / 10139 / (533 )

**College Code 533**

वा मे,
निदेशक / प्राचार्य,

RV Northland Institue of Management,Gautam Buddh Nagar
18th KM Ghaziabad Bulandshahr G.T.Road

विषय: शैक्षिक सत्र 2018–19 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा सत्र 2018–19 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता के आधार पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति / उ0प्र0 शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियो के क्रम मे निर्गत शासनादेश संख्या 2012 / सोलह–1–2018–13(1) / 2018 दिनांक 15.05.2018 के अपेक्षानुसार, विश्वविद्यालय मे प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा मे, संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता के साथ,

| Course Name | Branch Name | Shift | Affiliation Intake Applied for | AICTEApprovedIntake | COA/PCI Intake | Affiliation Intake Approved |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBA | MBA | Shift I | 60 | 60 | 0 | 51 |

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2018–19 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तो के अधीन है:–

1. संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली / डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाए पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन–पाठन / पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण मे दर्शायी गई कमियॉ / मानको को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति मे संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वत: निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान / प्रबन्धतंत्र का होगा।
2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ–साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
3. बी.फार्म / एम.फार्म. / बी.आर्क. / एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानो को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानको की पूर्ति एवं सबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानको को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातशिप एवं पी.सी.आई. / सी.ओ.ए (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वत: निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान / प्रबन्धतंत्र का होगा।
4. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन / डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश / शुल्क के सम्बन्ध मे समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य शुल्क ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण–प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन / विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं मे विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं / विवरण तथा सम्बद्धता सम्बन्धी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन / विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वत: निरस्त समझी जायगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
6. विश्वविद्यालय मे प्रवर्तित उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय–6 (सम्बद्धता) मे उल्लिखित प्राविधानो का संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति मे सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्थान 01 अगस्त, 2018 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप आवश्यक संख्या मे निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक / प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षको की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईजड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या मे शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन मे कोई त्रुटि, कूटरचना / विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वत: निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
8. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक / प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने के दिनांक तिथी से तीन माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य करायें। (विनियम 5.15)

**9. सत्र 2018–19 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के, सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।**

10. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात संस्था मे कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति मे ... दिवस (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को

R.V. Northland Institute of Management, Dadri, G.B. Nagar (U.P.)
Director

11. शैक्षिक एवं शिक्षणेतर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायगा. अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायगी। (विनियम 6.25बी)

12. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित कराये। (विनियम 6.13)

13. संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित कराये। (विनियम 6.16)

14. संस्था द्वारा छात्रो के लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य ... इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायगा।

15. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायगा।

16. फार्मेसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओ को इन विधाओं के समस्त पाठयक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया / आर्किटेक्चर काउसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2018-19 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा मे संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। सम्बन्धित नियामक संस्थान से मान्यता न मिलने की दशा मे संस्थान फार्मेसी तथा वास्तुकला के पाठ्यक्रमों में सत्र 2018-19 में किसी भी नये छात्र को पाठयक्रम विशेष मे न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धकिय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायित्व होगा।

17. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण मे निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

18. जिन संस्थानो की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानो की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।

19. संस्थान द्वारा प्रवेश मे उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं मे प्रवेश (अनुसूचित जातियो / अनु0 जनजातियो और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धि राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं के अनुपालन न करने की स्थिति मे सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।

20. विभिन्न सवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों / आदेशों के अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति मे उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

21. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान मे नवप्रवेशित / अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क / डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायगी।

22. AMS (Academic Monitoring system) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ0प्र0प्रा0वि0 / कुस0 का0 / 2014 / 4414-21 दिनाक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।

23. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यो हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

24. विगत शैक्षिक सत्र मे पाठयक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या से न्यून संख्या मे उपलब्ध अर्ह शिक्षक एवं पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानो की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2018-19 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हे पूर्नजीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।

25. पाठ्यक्रम विशेष के सम्बद्धता की सम्मिलित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के स्तंभ 5 या 6 (यथा लागू) मे स्तम्भ 7 ... को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमिया पायी जाने की स्थिति मे संस्था की सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान / प्रबन्धतंत्र का होगा।

(ओम प्रकाश राय)
कुलसचिव

पृष्ठाकन संख्या व दिनाक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 कुलाधिपति / श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

R.V. Northland Inst. of Management
Director
Dadri, G.B. Nagar (U.P.)